# क्या रमज़ान में रोज़े और नमाज़ की पाबंदी करने और उसके बाद नमाज़ छोड़ देने वाले का रोज़ा मान्य है ?

﴿ إذا اجتهد في صيام رمضان ثم ترك الصلاة بعد رمضان فهل له صيام؟ ﴾

[ *हिन्दी* - **Hindi** - هندي ]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

*अनुवादः* अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

# ﴿ إذا اجتهد في صيام رمضان ثم ترك الصلاة بعد رمضان فهل له صيام؟ ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

**बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम**

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

**हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :**

# क्या रमज़ान में रोज़े और नमाज़ की पाबंदी करने और उसके बाद नमाज़ छोड़ देने वाले का रोज़ा मान्य है ?

## प्रश्नः

यदि मनुष्य रमज़ान के महीने का रोज़ा रखने और रमज़ान में नमाज़ पढ़ने का बहुत लालायित है, किन्तु रमज़ान समाप्त होते ही नमाज़ छोड़ देता है, तो क्या उसका रोज़ा शुद्ध (मान्य) है ?

## उत्तरः

नमाज़ इस्लाम के स्तंभों में से एक स्तंभ है, यह शहादतैन (ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की शहादत) के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, और 'फर्ज़े ऐन' में से है (जो प्रत्येक व्यक्ति पर अनिवार्य होता है)। और जिस आदमी ने उसकी अनिवार्यता का इनकार करते हुए उसे छोड़ दिया, या लापरवाही और सुस्ती करते हुए छोड़ दिया, तो वह काफिर है। किन्तु जो लोग केवल रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते और नमाज़ पढ़ते हैं तो यह अल्लाह को धोख देना है। वे लोग कितने बुरे हैं जो अल्लाह को केवल रमज़ान में पहचानते हैं। रमज़ान के अलावा अन्य दिनों में नमाज़ छोड़ने के कारण उनका रोज़ा सही नहीं होगा, बल्कि वे इसके कारण कुफ्र अक्बर (बड़े–कुफ्र) के करने वाले हैं, यद्यपि उन्हों ने नमाज़ की अनिवार्यता का इनकार नहीं किया है। विद्वानों के दो कथनों में से सबसे शुद्ध कथन यही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر »

**''हमारे बीच और इन (काफिरों और मुश्रिकों) के बीच अहद व पैमान (प्रतिज्ञा) नमाज़ है। अतः जिस ने नमाज़ छोड़ दिया उसने कुफ्र किया।''**

इसे इमाम अहमद (हदीस संख्या : 22428), तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : 2621) और इब्ने माजा (हदीस संख्या : 1079) ने सहीह इसनाद के साथ बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

« رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله »

**''धर्म का मूल और सिर इस्लाम (शहादतैन का इक़रार) है, और उसका खम्भा (स्तंभ) नमाज़ है, और उसकी ऊंचायी और शान अल्लाह के मार्ग में जिहाद है।''**

इसे तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : 2616) ने सहीह सनद के साथ मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

« بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة »

**''आदमी (मुसलमान) के बीच और कुफ्र व शिर्क के बीच अंतर नमाज़ का छोड़ देना है।''** इसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह (हदीस संख्या : 82) में जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। इस अर्थ की हदीसे बहुत अधिक हैं।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ देने वाला है। तथा अल्लाह तआला हमारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दया और शांति अवतरित करे।

देखिये : **फतावा इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति (10/140).**